	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 30, मंगलवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 22, 2019 *Asvina 30, Tuesday, Saka 1941–October 22, 2019*	

भाग-1(ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ

बाल अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 11,2019

संख्या एफ. 20 (03)( )/बाअवि/किन्याअ/रा.स्त.च.स./02/ :- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 6(47) प्र.सु/अनु-3/2015 दिनांक 28.07.2015 को अतिक्रमित करते हुए किशोर न्याय ;बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन अधिसूचित किशोर न्याय ;बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 87(1) के तहत् निम्नानुसार **राज्य स्तरीय चयन समिति** का गठन करने की महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	चयन समिति की संरचना	समिति में पद
1.	श्री विजय कुमार व्यास, सेवानिवृत न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, एफ 48, 6डी, इंजीनियर्स कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड़, मानसरोवर, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश छंगानी, सी.ई.को.ई.डी.को.ऑन संस्थान, छंगानी भवन, स्टेशन रोड, फलौदी, जोधपुर।	सदस्य
3.	श्रीमती सर्लेश सिंह राणा, आश्रय रेस्क्यू एवं रीलिफ सेन्टर, 146, लायन्स लेन, सिरसी रोड, खातीपुरा, जयपुर।	सदस्य
4.	एसो. प्रोफेसर फिरोज अख्तर, 80/343 पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।	सदस्य
5.	श्री योगेश यादव, फ्लैट नं. 304, आकाश गंगा, बाईस गोदाम, जयपुर।	सदस्य
6.	प्रतिनिधि, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर।	सदस्य
7.	निदेशक एवं संयुक्तश्शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य सचिव

उक्त राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 88 के तहत् निर्धारित प्रक्रियानुसार अधिनियम के अन्तर्गत जिलों में गठित किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों एवं बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्यों का चयन तथा उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कर समिति की अनुशंषा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी। उक्त समिति के गैर

राजकीय सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित बैठक भत्ते एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी।

उक्त समिति का कार्यकाल आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए होगा।

अखिल अरोरा,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।